आनलाइन अपलोड

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

पत्रांक– 346 /1सी0 (वन)

दिनांक 22 / 02/2021

सेवा में,

उपवन संरक्षक
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– **मा0मु0घो0 सं0 1471/2015 मे राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धानई तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.910 हे0 वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.030 हे0 कुल 0.940 हे0 वन पंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव। (प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/38601/2019)**

सन्दर्भः– **निदेशक/वन संरक्षक नन्दादेवी आयोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर का पत्रांक संख्या– 1582/12–1 दिनांक 12.01.2021**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि निदेशक/वन संरक्षक नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर द्वारा मोटर मार्ग का पुनः सुयक्त निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके कम में दिनांक 06.2.2021 को देवल से धानई तक मोटर मार्ग का वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण प्रारम्भ किया गया है। संयुक्त निरीक्षण करते ही ग्राम धानई के ग्रामीणों द्वारा घोर विवाद किया गया तथा संयुक्त निरीक्षण रोक दिया गया। ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया कि जहाँ से संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है वह ग्राम सभा बैनोली के अन्तर्गत है। जिनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा। जिस कारण मोटर मार्ग अधर में लटक जायेगा तथा ग्रामीणों द्वारा पूर्व में किये गये सर्वे पर ही मोटर मार्ग बनाने हेतु अनुरोध किया गया।

अतः महोदय से अनुरोध है कि इसी सर्वे पर मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु प्रकरण को अग्रसारित करने की कृपा करें।

संलग्न– संयुक्त निरीक्षण आख्या।
मूल में।

भवदीय
24/2/21
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)
22/2/2021

पत्रांक– / 1 सी0 वन तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निदेशक/वन संरक्षक नदांदेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर के पत्रांक संख्या– 1582/12–1 दिनांक 12.1.2021 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता प्रथम निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गौचर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

संयुक्त निरीक्षण आख्या

x———x———x———x

निदेशक / वन संरक्षक नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर के पत्रांक संख्या- 1582/12-1 दि० 12-1-2021 के अनुपालन में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 147/2015 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धानई तक मोटर मार्ग का आज दि० 06-2-2021 को वन विभाग तथा लो०नि०वि० गौचर द्वारा संयुक्त निरीक्षण हेतु कार्यस्थल पर उपस्थित हुआ गया। संयुक्त निरीक्षण को प्रारम्भ करते ही ग्राम धानई के ग्रामीणों द्वारा घोर विवाद किया गया, तथा संयुक्त निरीक्षण को रोक दिया गया, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि जहाँ से संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है। वह ग्राम सभा बैनोली है। जिनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा। जिस कारण यह मोटर मार्ग अधर में लटक जायेगा। तथा ग्रामीणों द्वारा पूर्व में किये गये ही सर्वे पर मोटर मार्ग बनाने हेतु अनुरोध किया गया।

संयुक्त निरीक्षण में लो० नि० वि० के सहायक अभियन्ता इं० अमित कुमार पटेल, अपर सहायक अभियन्ता इं० प्रतीक अग्रवाल व अन्य स्टाफ तथा वन विभाग की तरफ से वन क्षेत्राधिकारी धनपुर रेंज गौचर श्री पंकज ध्यानी, वन दरोगा श्री विजेन्द्र सिंह कठैत, वन बीट अधिकारी श्री गोपाल सिंह रमोला, उपस्थित रहे।

प्रधान ग्राम पंचायत धानई
ह० [illegible]
दि० 6-2-2021
विकास खण्ड कर्णप्रयाग, चमोली

(श्री पंकज ध्यानी)
वन क्षेत्राधिकारी
धनपुर रेंज गौचर

(इं० अमित कुमार पटेल)
सहायक अभियन्ता
नि०ख०लो०नि०वि० गौचर
6/02/21

(श्री विजेन्द्र सिंह कठैत)
वन दरोगा, धनपुर रेंज गौचर

(इं० प्रतीक अग्रवाल)
अपर सहायक अभियन्ता
नि०ख०लो०नि०वि० गौचर

[illegible] पती [illegible] मौजा देवल, [illegible]
6/02/21

(श्री गोपाल सिंह रमोला)
वन बीट अधिकारी, [illegible]